भूखे बच्चें के लिए सहायक बना टोल फी्र नम्बर 1098

नाम :- रमेष निनामा
आयू:- 14
गा ॅव:- छोटा सलुनिया

झाबुआ जिले के पेटलवाद ब्ला ॅक से 30 किलोमीटर की दुरी पर पुर्व दिशा मे ग्राम पंचायत बडा सलुनिया के अन्तर्गत एक गा ॅव छोटा सलुनिया स्थित है इस गा ॅव मे रहने वाला रमेश पिता मन्ना। रमेश के पिता का स्वर्गवास होने के बाद माताजी के मायके चले जाने के बाद रमेश अपनी दादी के पास रह कर अपना जिवन गुजर भसर कर रहा था । परन्तु कोविड के कारण लोकडा ॅउन होने से दादी मजदुरी नही कर पाने के कारण परिवार मे खाने पीने की समस्या होने लगी। ऐसी स्थिती देखकर गा ॅव के शिक्षित युवक ने चाईल्ड लाईन परियोजना के टोल फ्रि नम्बर 1098 पर फोन लगया गया। जिसके तुरन्त बाद चाईल्ड लाईन सब सेन्टर पेटलावद ने तुरन्त रमेश की मदद की गई जिसमे रमेश को आर्थिक सहायता के रूप मे आटा 10 किलो,5 किलो चावल, 2 किलो शक्कर, 3 किलो तेल, 100 ग्राम चाय पत्ती ,500 ग्राम मिर्च व अन्य सामग्री मे मास्क,साबुन, सेनिटाइजर आदी सामान रमेश को दिया गया। इन सभी सामग्री को पाकर रमेश व उसकी दादी बहुत ही खुश हुए । और कहा की इस मुसिबत के समय मे सम्पर्क चाईल्ड लाईन के द्वार हमे सहयोग किया इसके लिए हम इन लोगों के बहुत बहुत आभारी है।

टोल फ्री नम्बर 1098 से रूका प्रदीप का बाल विवाह

नाम:- प्रदीप डामर
आयू:- 17 वर्ष
गा ॅव:- बोरपाडा

मध्यप्रदेश के पश्चिमी छोर पर स्थित झाबुआ जिले के पेटलावद तेहसील कार्यालय से 20 किलो मीटर की दूरी पर बसा छोटा सा गांव बोरपाडा मे रहने वाले बालक प्रदीप डामर जिसके पिताजी का स्वर्गवास 5-6 वर्ष पहले हो चुका है प्रदीप वर्तमान मे कक्षा 12 वी मे अध्ययनरत् है। जिसमे प्रदीप का बडा भाई प्रदीप की शादी करना चाहता है। प्रदीप अपनी पढाई जारी रखना चाहता है जिसके कारण वह शादी नही करना चाहता है। प्रदीप को सम्पर्क चाईल्ड का पर्चा मिला जिसमे टोल फ्री नम्बर 1098 पर प्रदीप ने फोन लगाया जिसमे प्रदीप ने बताया कि मेरी उम्र अभी 16 वर्ष है और मेरा परिवार मेरी जबरन शादी करवा रहे है जिसमे सम्पर्क चाईल्ड लाईन व महिला बाल विकास विभाग द्वारा गांव बोरपाडा मे जाकर प्रदीप के परिवार को समझाईश दी गई की बाल विवाह कानुनी अपराध है। और कोई जबरन 21 वर्ष से कम आयू मे कोई शादी करवाते है। तो उन्हे दो वर्ष का कठोर कारावास या 1 लाख रूपये जुर्माना आदी से दडिंत किया जा सकता है। यह सब सुन कर प्रदिप के मा ॅ एव बडे भाई ने निणर्य लिया की प्रदीप की आयू 21 वर्ष होने पर ही शादी कि जावेगी । इस प्रकार से प्रदिप की शादी रूकवाई गई । जिसमें प्रदीप बताता है कि अगर चाईल्ड लाईन की सेवा मुझो नही मिलती तो मेरी पढाई बर्बाद हो जाती और मैं आगे पढाई नही कर पाता।